राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर

"इन्वेस्टिगेशन ऑफ आर्गेनाइज्ड क्राइम"

कोर्स रिपोर्ट

राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर में प्रशिक्षण निदेशालय, राजस्थान, जयपुर के निर्देशानुसार "इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम" विषय पर 05 दिवसीय कोर्स दिनांक 19.02.2018 से 23.02.2018 तक आयोजित किया गया है।

इस कोर्स में राजस्थान के विभिन्न जिलों से कुल 33 प्रतिभागियों ने अपनी प्रतिभागिता दर्ज कराई। इस कोर्स के कोर्स डायरेक्टर श्री ज्ञान प्रकाश नवल, पुलिस उप अधीक्षक ने कोर्स की प्रस्तावना के साथ कोर्स की शुरूआत कर इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के विभिन्न आयामों के बारे में बताया।

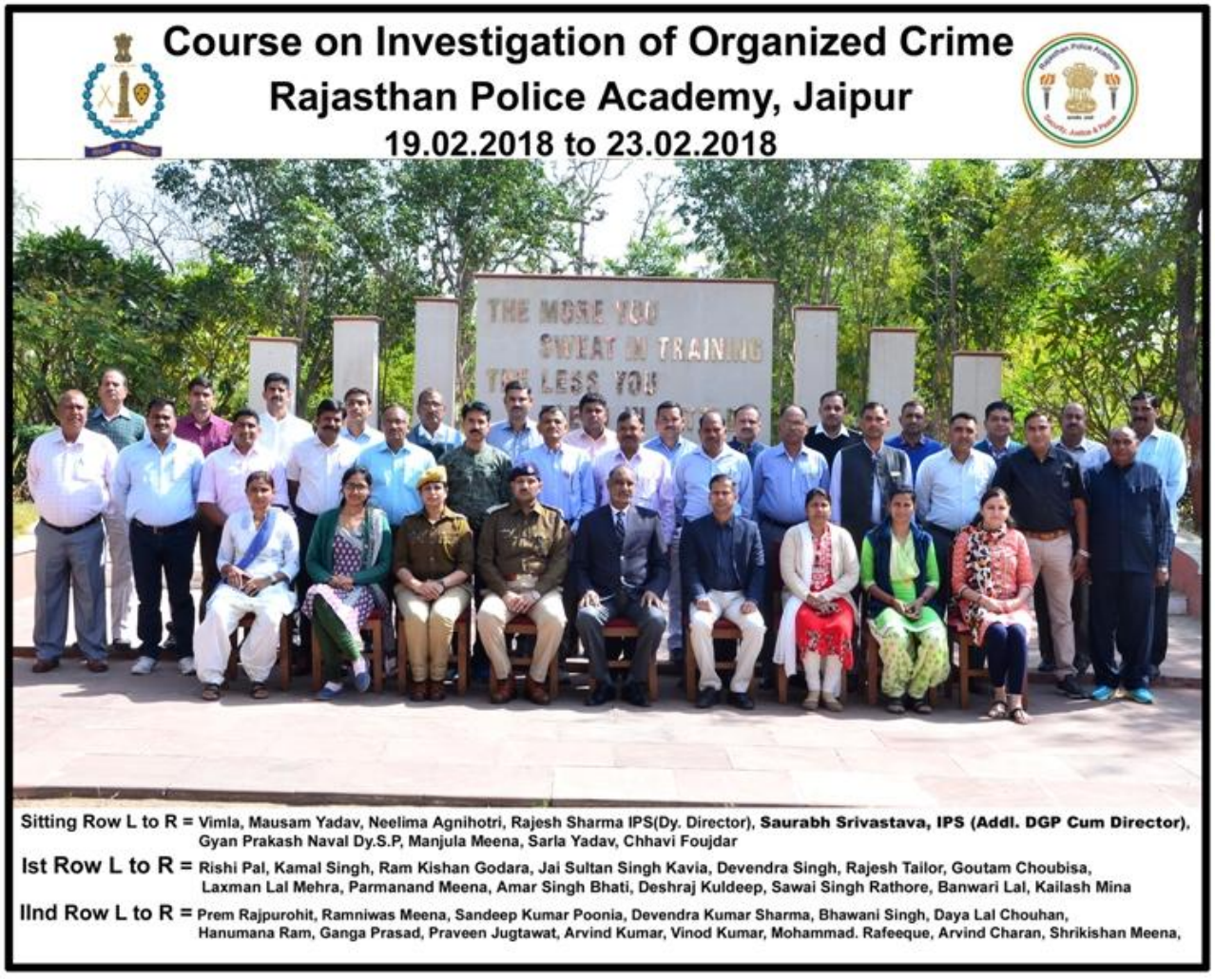

प्रशिक्षण कार्यक्रम की अवधि प्रात: 10.30 से सांय 05.00 तक रही है, जिसमें इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम विषय पर विभिन्न कानूनों की जानकारी, संगठित अपराधों से सम्बन्धित जानकारी, साक्ष्य संकलन करने की प्रक्रिया, गिरफ्तारी एवं आरोप पत्र प्रस्तुत करने की प्रक्रिया की जानकारी विभिन्न विषय विशेषज्ञों द्वारा दी गई। आमंत्रित अतिथि व्याख्याताओं ने उपस्थित होकर व्याख्यान दिये, साथ ही भारतीय पुलिस सेवा के सेवानिवृत एवं मौजूदा पुलिस अधिकारियों ने अपने अनुभव प्रशिक्षणार्थियों से साझा किये।

कोर्स के दौरान प्रथम दिवस को श्री जी.एल. शर्मा से.नि. पुलिस महानिरीक्षक ने संगठित अपराधों के मामलों के अध्ययन के साथ संगठित अपराध एवं प्रकार, कारणों की अवधारणों पर अपने सम्पूर्ण सेवा काल के अनुभव का अवलोकन प्रस्तुत करते हुए विधिक तकनीकों की सम्पूर्ण जानकारी दी। श्री राजेन्द्र सिंह पुलिस निरीक्षक आरपीए ने संगठित अपराधों और कानूनी प्रावधानों राजपासा, गुण्डा एक्ट, एनएसए एक्ट आदि की जानकारी प्रदान की। श्री अशोक गुप्ता, पुलिस उपायुक्त, जयपुर (पश्चिम), पुलिस आयुक्तालय, जयपुर ने ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के विभिन्न केसेज के बारे में बताते हुए ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की इन्वेस्टिगेशन के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की।

द्वितीय दिवस को श्री परमेन्द्र सिंह पुलिस निरीक्षक साइबर थाना ने संगठित अपराध में सेल फोन, इंटरनेट एवं कंप्यूटर का उपयोग तथा जांच की एसओपी की जानकारी प्रदान की। श्री धीरज वर्मा, पुलिस निरीक्षक, आरपीए, जयपुर ने ड्रग ट्रेफिकिंग एवं नार्को आतंकवाद के संबंधित केसेज के अनुसंधान के समस्त पहलुओं पर जानकारी प्रदान की। श्री रमेश चन्द तिवाड़ी, एडवोकेट, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर ने बीमा धोखधडी के अनुसंधान एवं अभियोजन में सफलता के लिए आवश्यक बिन्दुओं पर प्रकाश डाला।

तृतीय दिवस को श्री आर.एस. शर्मा से.नि. सहायक निदेशक एफ.एस.एल. जयपुर ने इन्टेरोगेशन टेक्निक्स में डॉक्यूमेन्ट एवं डिजिटल साक्ष्य संकलन की अद्यतन वैज्ञानिक तकनीकों की सम्पूर्ण जानकारी दी। श्री नीशीथ दीक्षित, एडवोकेट ने एटीएम धोखाधड़ी / क्रेडिट कार्ड / डेबिट कार्ड धोखाधड़ी बैंक से संबंधित साइबर मामलों के बारे में जानकारी दी।

चतुर्थ दिवस को श्री विवेक श्रीवास्तव ज्वाइन्ट डायरेक्टर (ई.डी.), जयपुर ने मनी सर्कुलेशन एवं मनी लॉण्डरिंग एक्ट को संबंधित अपराधों से जोड़ते हुए अपना व्याख्यान प्रस्तुत किया। श्री दिलीप सैनी, सहायक निदेशक, आरपीए ने संगठित अपराधों की जांच एवं केस स्टडीज के माध्यम से अनुसंधान के विभिन्न पहलुओं को उजागर किया। श्री ओम प्रकाश उप पुलिस अधीक्षक (से.नि.) ने बाल यौन व्यभिचार एवं व्यावसायिक यौन शौषण महिलाओं और लड़कियों के तस्करी फिरौती के लिए अपहरण की जांच एवं राजमार्ग पर डकैती पर अपने व्याख्यान दिये।

अन्तिम दिवस को श्री आर0एस0 बत्रा सेवानिवृत आर0ए0एस0 ने भूमि धोखाधड़ी से संबंधित अपराध की जांच - डबल पट्टा, नकली समझौतों, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट (टीपीए) अटॉर्नी की शक्ति रिकॉर्ड और संबंधित विवादों में छेड़छाड़ करने संबंधी जानकरी प्रदान की।

प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतिम दिवस में दिनांक 23.02.2018 02:15 बजे प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल समस्त प्रतिभागियों से समग्र कोर्स का मूल्यांकन प्रपत्र भरवाया गया। कोर्स का समापन-समारोह अकादमी स्थित कॉन्फ्रेन्स हॉल नं.04 में किया गया जिसमें कोर्स डायरेक्टर श्री ज्ञान प्रकाश नवल, उप पुलिस अधीक्षक आरपीए के उद्बोधन के पश्चात् प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाण पत्र वितरण किये। प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्त में कोर्स के संचालन में सहभागियों एवं सम्पूर्ण प्रतिभागियों का धन्यवाद ज्ञापित कर कोर्स समाप्ति की घोषणा की गई।

(ज्ञान प्रकाश नवल)
उप पुलिस अधीक्षक,
कोर्स निदेशक,
राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर